(2)

प्रपत्र – 5

(4)

एस.सी.पी.

संख्या 327/III-2/06-76(प्रा.आ.)/05टी.सी.।

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(5)

लोक निर्माण अनुभाग-2 — देहरादून, दिनांक 28 मार्च, 2006

विषयः- वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत 69(उनहत्तर) नये कार्यों के रूपये 7509.24 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 6981.98 लाख (रू0 उनहत्तर करोड़ इक्यासी लाख अठानवे हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उसके सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.69 लाख (रू0 उनहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का प्रयोग में लाया जाय।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत लछमौला नौवा मोटर मार्ग का एक सेतु सहित का निर्माण | 5.00 +12.00 मी० | 121.40 | 103.40 | 0.01 |
| 46. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत सासाट-पट्टी मोटर मार्ग के कि0मी0 15.00 से शापला गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण | 8.00 | 171.20 | 142.40 | 0.01 |
| 47. | पथराड़ाखाल गैठीछेड़ा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 एवं ई0मी0(4-6) से वड़ला कान्डेड़ बुरांसी होते हुए ग्राम चमना अम्बेडकर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण | 9.00 | 125.10 | 125.10 | 0.01 |
| 48. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत मल्लाकोटा से लोप तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण | – | 221.76 | 221.76 | 0.01 |
| 49. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढवाल के रिखणीखाल ब्लाक के अन्तर्गत ढिमकी सम्पर्क मार्ग का निर्माण | 3.50 | 48.65 | 48.65 | 0.01 |
| 50. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत सातसिलिंग-थल मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से पैकरिया तक सम्पर्क मार्ग | – | 35.60 | 35.60 | 0.01 |
| 51. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत चम्पावत के किमतोली-रौशाल मोटर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम अठलाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 89.00 | 89.00 | 0.01 |
| 52. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत जनपद पौडी गढ़वाल के वि0ख0 पाबौ के में कुलमोरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण | 3.50 | 48.65 | 48.65 | 0.01 |
| 53. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत नैनीताल में पुरकुड़िया लोगड़ पटरानी मोटर मार्ग का विस्तार | 5.00 | 129.00 | 89.00 | 0.01 |
| 54. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत नैनीताल में देवीधुरा से धापला तक मोटर मार्ग का निर्माण | 10.00 | 258.00 | 178.00 | 0.01 |
| 55. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया गनाई से अखेती मोटर मार्ग का नव निर्माण | 3.00 | 60.00 | 53.40 | 0.01 |
| 56. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत अल्मोड़ा के वि0ख0 चौखुटिया में जगड़िया से बाइराओखला मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 100.00 | 89.00 | 0.01 |
| 57. | एस.सीपी. के अन्तर्गत बयार रौड़ हेतु मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 81.00 | 81.00 | 0.01 |
| 58. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत डोबरा भुटियाण गांव हेतु मोटर मार्ग का निर्माण | 7.00 | 113.40 | 113.40 | 0.01 |
| 59. | एससी.पी. के अन्तर्गत डांगचौरा-पडियार गांव-बडोन मोटर मार्ग का निर्माण | 1.700 | 27.54 | 27.54 | 0.01 |
| 60. | एस.सी.पी. के अन्तर्गत बगड़वालधार से गोल्टा चक त्यालनी मोटर मार्ग का नव निर्माण | 11.00 | 178.20 | 178.20 | 0.01 |

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब योजना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर उस कब्जा प्राप्त हो जाय। यदि कब्जा नहीं प्राप्त होता है तो उसकी सूचना शासन को देकर समस्त धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक- 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक, प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-548 /XXVII/(2)/2005 दिनांक 28 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 69 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 827(1)/III-2/05,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2- आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौडी।
3- समस्त जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तराँचल।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
6- मुख्य अभियन्ता, कुमांयू क्षेत्र/गढ़वाल क्षेत्र लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/पौडी।
7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराँचल ।
8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/2 उत्तरांचल शासन/ गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

मुख्य अभियन्ता, कु० क्षे०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा।

पत्रांक 1167/552 ...-कु-/06 दि० 31/3/06

प्रतिलिपि ... 18/28/48/53 ... लो० नि० वि० पिथौरागढ़/नैनीताल/अल्मोड़ा/हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं ... कार्यवाही हेतु प्रेषित।

...

मुख्य अभियन्ता, कु० क्षे०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा।